

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना, सिवान, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, रोहतास, कैमूर (भभुआ), नवादा, सीतामढ़ी, पूर्वी  
चम्पारण, पं० चम्पारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, नालंदा  
मधेपुरा, एवं सहरसा।

पटना, दिनांक- 6.3.2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला  
प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय  
शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹16,02,14,200/-  
(सोलह करोड़ दो लाख चौदह हजार दो सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-  
जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 16,02,14,200/- (सोलह करोड़ दो लाख चौदह हजार दो सौ  
रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों  
के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही  
किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं  
व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई  
आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये  
ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से  
किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों  
का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के  
औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान  
सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना  
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

  
(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्वीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना, सिवान, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, रोहतास, कैमूर (भभुआ), नवादा, सीतामढ़ी, पूर्वी  
चम्पारण, पं0 चम्पारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, नालंदा  
मधेपुरा, एवं सहरसा।

पटना, दिनांक- 2019

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹16.02,14,200/- (सोलह करोड़ दो लाख चौदह हजार दो सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 16,02,14,200/- (सोलह करोड़ दो लाख चौदह हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।


अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-03/2018 सा०-.....<sup>50</sup>...../ पटना, दिनांक- 6/3/2019  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
6/3/19  
सरकार के उप सचिव

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07		06 01	11 01	13 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,00,000
2	सिवान	30,00,000	25,00,000	3,00,000		1,00,000	50,000	59,50,000	60,000	2,00,000	10,00,000
3	पूर्णियां	60,00,000	0	5,20,000	1,25,000	1,90,000	1,00,000	69,35,000	0	2,00,000	35,00,000
4	अररिया	14,00,000	1,25,000	1,00,000	0	42,000	10,000	16,77,000	0	2,00,000	30,00,000
5	किशनगंज	45,50,000	4,50,000	1,30,000	0	2,00,000	0	53,30,000	2,00,000	5,00,000	0
6	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	15,200	0	0
7	कैमूर (ममुआ)	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	0	0
8	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00,000
9	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	10,000	3,00,000	60,00,000
10	पूंचम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	24,00,000
11	पूंचम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	3,25,000	4,50,000	0
12	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	15,00,000
13	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	90,00,000
14	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	2,00,000	45,00,000
15	सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00,000	15,00,000
16	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,00,000
17	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	2,00,000
18	कटिहार	10,00,000	0	0	0	52,000	5,00,000	15,52,000	2,00,000	2,00,000	45,00,000
19	नालंदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00,000
20	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00,000
21	सहरसा	4,00,000	40,000	30,000	0	10,000	20,000	5,00,000	0	0	25,00,000
	कुल योग -	163,50,000	31,15,000	10,80,000	1,25,000	5,94,000	6,80,000	219,44,000	11,10,200	32,00,000	527,00,000

contd....

8/5/19  
सरकार के उप सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्र० सं०	जिला का नाम	वा० का ई० एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/ पोशाक	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	किराया, महसूल एवं कर	आतिथ्य व्यय	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	प्रशिक्षण व्यय	संविदा सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या -	13 02	13 03	13 04	13 06	13 10	14 01	20 01	20 02	20 03	28 02	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	पटना	55,00,000	3,00,000	0	1,50,000	0	0	15,00,000	0	0	0	144,50,000
2	सिवान	4,00,000	2,00,000	0	80,000	0	0	0	0	0	6,00,000	84,90,000
3	पूर्धियां	7,00,000	3,00,000	1,75,000	80,000	0	50,000	3,00,000	2,00,000	0	25,00,000	149,40,000
4	अररिया	10,00,000	60,000	7,00,000	1,00,000	3,00,000	60,000	1,00,000	0	0	20,00,000	91,97,000
5	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,30,000
6	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,200
7	कैमूर (ममुआ)	0	0	0	30,000	0	0	0	0	20,000	0	2,50,000
8	नवादा	7,00,000	1,00,000	3,00,000	50,000	0	2,00,000	0	0	0	20,00,000	39,50,000
9	सीतामढ़ी	40,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	104,10,000
10	पू०चम्पारण	25,00,000	1,50,000	15,50,000	80,000	0	2,00,000	4,00,000	0	0	10,00,000	84,80,000
11	प०चम्पारण	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	5,40,000	13,85,000
12	शिवहर	15,00,000	1,50,000	8,00,000	50,000	0	3,00,000	2,00,000	0	0	0	47,00,000
13	दरभंगा	45,00,000	5,00,000	50,00,000	0	0	0	5,00,000	1,50,000	0	30,00,000	227,50,000
14	मधुबनी	22,00,000	5,00,000	15,00,000	0	0	0	4,00,000	0	1,00,000	5,00,000	100,00,000
15	सारण	15,00,000	5,00,000	20,00,000	60,000	0	2,00,000	3,00,000	0	0	50,00,000	113,60,000
16	खगड़िया	22,00,000	2,00,000	7,00,000	0	0	5,00,000	0	0	0	0	56,50,000
17	बेगूसराय	50,000	40,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	4,20,000
18	कटिहार	22,00,000	3,00,000	6,00,000	80,000	0	1,50,000	1,50,000	0	0	10,00,000	109,32,000
19	नालंदा	8,00,000	60,000	10,00,000	0	0	0	3,00,000	11,50,000	0	0	48,10,000
20	मधेपुरा	8,00,000	1,00,000	7,00,000	0	0	0	2,00,000	0	0	8,00,000	46,00,000
21	सहरसा	17,00,000	3,00,000	20,00,000	80,000	0	15,000	3,00,000	0	0	0	73,95,000
	कुल योग -	322,50,000	37,60,000	170,45,000	9,20,000	3,00,000	16,75,000	46,50,000	15,00,000	1,20,000	190,40,000	1602,14,200

(सोलह करोड़ दो लाख चौदह हजार दो सौ रुपये) मात्र।

8/03/19

सरकार के उप सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग